# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 01/2019

प्रार्थी–
1. श्री परशुराम पुत्र श्री वनारामजी जाति श्री गौड ब्राहम्ण, उम्र 68 वर्ष निवासी खैरवा, तहसील पाली

बनाम अप्रार्थी–
1. भूमिधारी तहसीलदारजी, पाली

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

**आवेदन अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

–:आदेशः– दिनांक 22-08-2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वनराज जी का पुत्र है व वनराजजी की खातेदारी की कृषि भूमि मौजा खैरवा तहसील पाली मे खसर नबर 1211 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 1212 रकबा 0.12 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि वनराज जी के नाम थी व उनकी मृत्यु के बाद फौतदेगी म्यूटेशन 20.08.2014 को पारित किया गया जिसमें सभी वारिसान का नाम म्यूटेशन भरा गया उस संबंध मे कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त म्यूटेशन भरने के बाद जमाबंदी की नकल 03.02.2018 को प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गई तब पता चला कि प्रार्थी का नाम परशुराम की जगह पुसाराम दर्ज हो गया है। जो एक टेक्नीकल मिस्टेक है। प्रार्थी का बैंक खाते में भी नाम परशुराम दर्ज है। आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम परशुराम दर्ज हैं व निर्वाचन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम परशुराम दर्ज है परन्तु सेव से जमाबंदी में पुसाराम दर्ज हो गया है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य हैं जमाबंदी में पुसाराम की जगह परशुराम दर्ज किया जाना आवश्यक है व उसी अनुसार जमाबंदी में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी तहसीलदार, पाली ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेरवा प्रथम के खसरा नम्बर 1211,1212 रकबा क्रमश 27.08, 0.12 बीघा किस्म चाही दायम गै.मु. बेरा लगान 89.05 0.00 रूपये वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार शिवलाल पुसाराम तुसलीराम मांगीलाल पि. वनराज कुकी पुत्र वनराज खीमराज हरजीराम भगवान पपू पुत्र मीठालाल रतन पुत्र मीठालाल नाजु पत्नि मीठालाल कौम श्री गौड ब्रहामण सा देह खातेदार। रहन एम जी बैंक शाखा खैरवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवरण में नामान्तकरण संख्या 2936 दिनांक 20.08.2014 विरासत से पुसाराम पुत्र वनराज दर्ज किया गया है। खातेदार द्वारा राजस्थान मरूधरा बैंक खैरवा द्वारा जारी पास बुक की छाया प्रति पेश की गई है। जिसमें खाता संख्या 83046741585 मे नाम परशुराम पुत्र वनाराम दर्ज है एवं आधार कार्ड संख्या 3452 5640 5409 के अनुसार खातेदार का नाम परशुराम वनाराम दर्ज है तथा खातेदार का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र मे परशुराम पुत्र वनाराम दर्ज हैं तथा खातेदार द्वारा पेश शपथ पत्र जो नोटेरी से सत्यापित है

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

उसमें नाम परशुराम पुत्र वनाराम बताया गया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार खातेदार पुसाराम पुत्र वनाराम एवं परशुराम पुत्र वनाराम नाम का एक ही व्यक्ति है।

बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम परशुराम पुत्र वनारामजी हिरावत है। जो कि आधार कार्ड मे दर्ज हैं राजस्व रिकोर्ड मे नाम पूसा राम पुत्र श्री वनारामजी दर्ज हैं। जो कि गलत एव गलती से दर्ज कर दिया गया था। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में नाम परशुराम पुत्र श्री वनारामजी हिरावत दर्ज है। नामान्तरकण में पुसाराम की जगह परशुराम दर्ज किया जाना आवश्यक है व उसी अनुसार जमाबंदी में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

6. विद्वान सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गलती से नाम परशुराम के स्थान पर पूसाराम आ गया है। यदि दुरूस्ती हो तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम खैरवा के नामान्तकरण संख्या 2936 दिनांक 20.08.2014 विरासत से पुसाराम पुत्र वनराज दर्ज किया गया है। ग्राम खैरवा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 759 पर खसरा नंबर 1211 रकबा 27.08 बीघा, खसरा नंबर 1212 रकबा 0.12 बीघा भूमि पुसाराम पुत्र वनराज कौम श्रीगौड़ ब्राह्मण सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की पास बुक, निर्वाचक पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में परशुराम पुत्र पुत्र वनाराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड से यह तथ्य साबित है कि ग्राम खैरवा के नामान्तकरण संख्या 2936 दिनांक 20.08.2014 तथा तथा ग्राम खैरवा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 759 के खसरा नंबर 1211 रकबा 27.08 बीघा, खसरा नंबर 1212 रकबा 0.12 बीघा पुसाराम पुत्र वनराज दर्ज है जो गलत दर्ज कर दिया गया है। तहसीलदार, पाली द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त गलत प्रविष्टि का दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड ग्राम खैरवा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 759 में दर्ज खातेदार पुसाराम पुत्र वनराज जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के स्थान पर परशुराम पुत्र वनाराम जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक-22-08-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner